संख्याः 20/VIII/691–प्रशि0 टीसी/2004

प्रेषक,

श्री नृप सिह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून दिनांकः 18, जनवरी–2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु आयोजनागत पक्ष के मानक मद संख्या–26 मशीनें साजसज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि से साजसज्जा/उपकरण के कय हेतु धनराशि का आंबटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : डीटीईयू/0202/एनपीबी/2004/कैम्प–।। दिनांक दृ 1,जनवरी–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्तीय वर्ष–2003–04 में स्वीकृत 05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कमशः कोटद्वार जनपद पौड़ी, नैनबाग जनपद टिहरी, बाजपुर जनपद उधमसिंहनगर, खूँट व गछोड़ जनपद अल्मोडा हेतु आवश्यक साजसज्जा/उपकरणों के कय हेतु आपके प्रस्तावानुसार रूपये 84,00,000/– (रूपये चौरासी लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष–2004–05 के आयोजनागत पक्ष में व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

5. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहॉ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा । व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय जारी शासनादेशों/ अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

6– व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्डडी, की दरों एवं शर्तो, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । उपकरणों आदि का कय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही कय कर स्थायी सम्बन्धन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय एवं व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31,मार्च–2005 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

8– प्रश्नगत् संस्थानों में आवश्यकतानुसार एवं मानक के अनुसार मशीनें/साजसज्जा की आपूर्ति कर एनसीवीटी भारत–सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे ।

9– उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व गत् वर्ष–2003–04 में व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

10– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार 03–प्रशिक्षण–आयोजनागत ,003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुद्वढ़ीकरण आयोजनागत–00 के अर्न्तगत मानक मद संख्या–26–मशीनें साजसज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत किया जायेगा ।यह आंबटन निदेशक के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है ।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : यूओ/ 17 /वि0अनु0–3/2004 दिनांक 15, जनवरी–2005 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त ।

भवदीय

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 20(1)/ VIII/ 691–प्रशि0टीसी/ 2004, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– सम्बन्धित् जनपद के कोषाधिकारी ।
3– वित्त अनुभाग–3
4– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त बजट, उत्तरांचल शासन ।
5– नियोजन–विभाग ।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय ।
7– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।